

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर
—00—

स्वीकृत
सूचना अधिकारी
प्रति / वाचक
जो प्रमाणित
करे
6/2/12

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2012

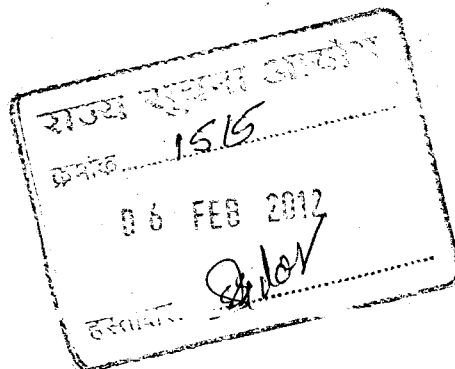
क्रमांक एफ 2-4/2010/1-सूअप्र ::, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क. 22, सन् 2005) की धारा 27 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 3 में, शब्द "या नान ज्युडिशियल स्टाम्प या मनीआर्डर" के पश्चात् एवं शब्द "सहित" के पूर्व, शब्द "या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (₹-1000 तक के अरेखांकित तथा ₹-1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर" अन्तःस्थापित किये जाएं, एवं शब्द "मुख्य शीर्ष-0070-उप-मुख्य शीर्ष-800-अन्य प्राप्तिर्यो" के स्थान पर, शब्द "मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवार्ये, उप-मुख्य शीर्ष-(60)-अन्य सेवार्ये, लघु शीर्ष-(118)-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तिर्यो," प्रतिस्थापित किए जाएं।
2. नियम 4 में, शब्द "या नान ज्युडिशियल स्टाम्प या मनीआर्डर" के पश्चात् एवं शब्द "सहित" के पूर्व, शब्द "या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (₹-1000 तक के अरेखांकित तथा ₹-1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर" अन्तःस्थापित किये जाएं, एवं शब्द "मुख्य शीर्ष-0070-उप-मुख्य शीर्ष-800-अन्य प्राप्तिर्यो" के स्थान पर, शब्द "मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवार्ये, उप-मुख्य शीर्ष-(60)-अन्य सेवार्ये, लघु शीर्ष-(118)-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तिर्यो," प्रतिस्थापित किए जाएं।
3. नियम 5 में, शब्द "मुख्य शीर्ष-0070-उप-मुख्य शीर्ष-800-अन्य प्राप्तिर्यो" के स्थान पर, शब्द "मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवार्ये, उप-मुख्य शीर्ष (60)-अन्य सेवार्ये, लघु शीर्ष (118)-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तिर्यो" प्रतिस्थापित किये जाएं।

4 FEB 2012
Di. Sug. Mr



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

31/1/12

पृ० क्रमांक एफ 2-4/2010/1-सूअप्र ::

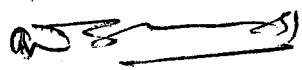
रायपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2012

प्रतिलिपि :-

1. समस्त अपर सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर,
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली,
3. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
4. महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर,
5. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
6. सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़,
7. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर ।
8. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर
9. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर,
10. समस्त विभागाध्यक्ष छत्तीसगढ़ ।
11. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़ ।
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय ।
13. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
14. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, माननीय मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण, संसदीय सचिवगण ।
15. मुख्य सचिव के अवर सचिव/स्टॉफ ऑफिसर, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय रायपुर ।
- ✓ 16. नियंत्रक, क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र में करना सुनिश्चित कर, मुद्रित अधिसूचना की 300 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(1) इस अधिसूचना द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से शुल्क (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) जमा करने के लिये बजट शीर्ष, उपशीर्ष, लघुशीर्ष, संशोधित किये गये हैं, अतः शुल्क एवं मूल्य विनियमन शुल्क संशोधित शीर्ष के अंतर्गत जमा किये जायें ।

(2) कृपया अधिसूचना की प्रति समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित की जाकर संशोधित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जावे ।


संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

31-1-12

पृ.क्रमांक 229/स्था/छगरासूआ/12
प्रतिनिधि:

रायपुर, दिनांक 25/2/2012

- 1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सूचना आयुक्त, छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, रायपुर।
- 2- निज सहायक, राज्य सूचना आयुक्तगण, छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, रायपुर।
- 3- सचिव, छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, रायपुर।
- 4- उपसचिव/अवर सचिव/लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, रायपुर।
- 5- वाचक गण 1, 2 एवं 3 को सूचनार्थ।
- 6- गार्ड फाईल।

OK
प्रभारी अधिकारी स्थापना
छ.ग. राज्य सूचना आयोग
रायपुर